

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या

पटना, दिनांक

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में निबंधक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** /- (1) यह नियमावली बिहार राजकीय अभियंत्रण/पोलिटेकनिक निबंधक सेवा नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों तक रहेगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ** /- इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है नियम-3 में यथावर्णित बिहार अभियंत्रण/पोलिटेकनिक निबंधक सेवा संवर्ग।

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार सरकार"।

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग"।

(iv) "निदेशालय" से अभिप्रेत है "विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय"।

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है "विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग"।

(vi) "समिति" से अभिप्रेत है "विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति"।

(vii) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण/पोलिटेकनिक निबंधक सेवा।

(viii) "सीधी नियुक्ति" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति।

(ix) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार अभियंत्रण/पोलिटेकनिक निबंधक सेवा में नियुक्त एवं शामिल/समायोजित व्यक्ति।

(x) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

(xi) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

(xii) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि।



बिहार अभियंत्रण/पोलिटिकनिक निबंधक सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना :-

(1) संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे-

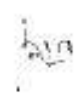
क्र०सं०	पदनाम
1	सहायक निबंधक
2	उप निबंधक
3	निबंधक

स्पष्टीकरण-संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति इस संवर्ग के सदस्य नहीं समझे जायेंगे।

- (2) यह संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा।
- (3) इस संवर्ग के सदस्यों के वेतनमान एवं सेवा शर्तों का अवधारण वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया जाएगा।
4. **रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना :-** प्रत्येक वर्ष विभाग उस वर्ष के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटिकनिक/राजकीय महिला पोलिटिकनिक संस्थानों हेतु सहायक निबंधक, उप निबंधक, निबंधक के पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी और उसके अनुसार सीधी नियुक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना 30 अप्रैल तक आयोग को प्रेषित करेगी।
5. **सीधी नियुक्ति :-** (1) संवर्ग के मूल पद या सहायक निबंधक के पद पर सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।
(2) सीधी नियुक्ति की स्कीम परिशिष्ट-1 में उपबंधित है, जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
(3) लिखित परीक्षा समूह 'ख' सेवा के पद के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमनुसार होगी।
6. **परीक्षा अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण :-** (1) नियुक्ति के पश्चात दो वर्षों की परीक्षा अवधि होगी। उक्त अवधि की संतोषप्रद सेवा एवं परीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक पूर्णता के उपरांत सेवा सम्पुष्ट होगी।
(2) नियुक्त व्यक्ति को परीक्षा अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पुरा करना होगा।
7. **आरक्षण :-** इस सेवा में सीधी नियुक्ति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे। आरक्षण रोस्टर विषयवार संचारित होगा।
8. **उम्र-सीमा :-** उम्र सीमा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के निबंधक संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा होगी।
9. **वरीयता :-** विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत निबंधकों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगी।
10. **प्रोन्नति :-** इस सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति के द्वारा परिशिष्ट-1 में उपबंधित पद सोपान के अनुसार निर्धारित कालावधि पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।



11. **स्थापना संबंधी कार्यो का नियंत्रण** :- इस सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापना, स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य नियुक्ति प्राधिकार के नियंत्रणाधीन होंगे।
12. **प्रतिनियुक्ति** :- इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभाग/निदेशालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के उपयुक्त गैर संवर्गीय पदों पर अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकेगा।
13. **अनुशासनिक कार्रवाई** :- सेवा के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रयोजनार्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलीय) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
14. **विविध** :- जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।
15. **निर्वचन** :- जहाँ इस नियमावली के किसी नियम के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ इस विषय पर विभाग का निर्णय विधि विभाग से परामर्श के पश्चात अंतिम होगा।
16. **कठिनाइयों का निराकरण** :- नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग से परामर्श के पश्चात किया जायेगा।
17. **निरसन एवं व्यावृत्ति** :- (1) इस नियमावली के निर्गमन के पूर्व इस संबंध में निर्गत संकल्प/परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र के तहत की गई नियुक्तियाँ या निर्गत किए गए आदेश प्रवृत्त और विधिमान्य बने रहेंगे, मानों वे इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन निर्गत किए गए हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


5/09/16
उप सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।


2/9/16

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ५०० (पाँच सौ) अदद मुद्रित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५/९/०१६

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ सभी राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों/ सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वट, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५/९/२०१६

प्रतिलिपि- निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५/९/०१६

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५/९/२०१६

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग (वित्त विभाग), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५/९/२०१६

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

जापांक - वि०प्रा०(१)स्था०-९४/०७

२३२१

/पटना, दिनांक-

५-९-२०१६

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/आप्त सचिव, मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव।

परिशिष्ट-1

निबंधक संवर्ग गठन (देखे नियम-3)

कोटि क्र०	कोटि	अर्हता, अनुभव	अभ्युक्ति
(i)	(मूल कोटि) सहायक निबंधक	यु० जी० सी० द्वारा विनिश्चित वर्तमान न्यूनतम योग्यता 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या 7 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड बी० के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड।	सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
(ii)	उप निबंधक	सहायक निबंधक या समतुल्य पद पर 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।	प्रोन्नति से भरा जायेगा।
(iii)	निबंधक	15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव जिसमें 8 वर्षों का उप निबंधक या समतुल्य पदों का अनुभव होगा।	प्रोन्नति से भरा जायेगा।

- वर्तमान ग्रेड पे० उम्र सीमा के संबंध में बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय पदाधिकारियों के लिए अनुशंसित शर्तें लागू रहेंगी।
- इस संवर्ग के कार्य एवं दायित्व :- निबंधन, परीक्षा, बजट से संबंधित कार्य एवं विभाग तथा प्राचार्य द्वारा सौंपा गया अन्य प्रशासनिक कार्य।
- मूल कोटि का पद सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा।
- इस संवर्ग में पूर्व में नियुक्त /समायोजित सदस्य निर्धारित अर्हता धारित करने एवं कालावधि पूर्ण करने पर One time measure के रूप में निबंधक के पद के विरुद्ध स्वतः समायोजित समझे जायेंगे।
- उपयुक्त पदों के रिक्त होने की स्थिति में अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारी सदस्य का पदस्थापन उपयुक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा प्रोन्नति से भरने तक किया जा सकेगा।

3/9/16

बिहार राज्यपाल के आदेश से

उप सचिव

विज्ञान एवं पारिधिकी विभाग

बिहार, पटना।

3/9/16

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

No. _____ Patna, Date _____

In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules for the recruitment, promotion to the posts of Registrar Cadres in The Govt. Engineering Colleges/Govt. Polytechnics Institutes and to regulate their service conditions:-

1. **Short title, extent and commencement** /- (1) These Rules may be called the **"Bihar Government Engineering and Polytechnic Registrar Service Rules, 2016"**.
(2) It shall extend to all the Government Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics-Government Women's Polytechnics under the Department of Science and Technology, Government of Bihar, in the whole state of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of issue of the Notification.
2. **Definitions** /- In these Rules, unless otherwise requires in the context-
 - (i) "Cadre" means The Engineering and Polytechnic Registrar Service Cadre as described in Rule 3;
 - (ii) "Government" means the **Government of Bihar**;
 - (iii) "Commission" means **'Bihar Public Service Commission**;
 - (iv) "Directorate" means the **'Directorate of Science and Technology'**;
 - (v) "Department" means the **'Department of Science and Technology'**;
 - (vi) "Committee" means the 'Departmental Promotion Committee' constituted by the Department.
 - (vii) "Service" means 'The Engineering and Polytechnic Registrar Service';
 - (viii) "Direct Appointment" means appointment to be made on the recommendation of Bihar Public Service Commission;
 - (ix) "Cadre-Member" means the person appointed and included/ absorbed in the Bihar Engineering and Polytechnic Registrar Service under the provisions of these Rules;
 - (x) "Appointing Authority" means the Principal Secretary Secretary Department of Science and Technology;
 - (xi) "Vacancies of the year" means the vacancies occurring in a particular year by virtue of creation of new posts, superannuation, death and dismissal.



3. **Cadre Structure for The Bihar Engineering and Polytechnic Registrar Service Cadre**:-

(1) There will be following posts in the cadre:

Sl. No.	Designation	
1.	Assistant Registrar	Basic Category
2.	Deputy Registrar	First Promotional Avenue
3.	Registrar	Second Promotional Avenue

Explanation /- (1) The persons appointed on Contract will not be deemed to be member of this cadre.

(2) The Cadre shall be state level.

(3) The pay scales and service conditions for the members of this service shall be determined by the Department in consultation with the General Administrative Department & Finance Department.

4. **Calculation of Vacancies and its intimation to the Commission** /- Every year, the Government shall calculate the vacancies for direct appointment to the posts of Assistant Registrar for the Govt. Engineering Colleges/Institutes and Govt. Polytechnics/Govt. Women's Polytechnics and shall accordingly send intimation of vacancies to be filled up by direct recruitment to the Commission up to 30th April.

5. **Direct Appointment** /- (1) Direct appointment to the basic post, or Assistant Registrar shall be made in the light of the recommendation of the Commission.

(2) The scheme of direct appointment is provided in Appendix-1 in which the amendment may be made by the Government, from time to time.

(3) The Written Examination shall be held as per the determined syllabus for the posts of Service of Group- 'B'.

6. **Probation Period/Departmental Examination/Training** /- (1) There shall be Probation Period of two years after the appointment. The service shall be confirmed on successful completion of probation period and satisfactory service of the said period.

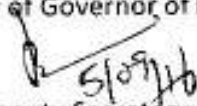
(2) The appointed person shall have to essentially complete the training determined by the Department in the probation period.

7. **Reservation** /- The provisions of Reservation Roster notified by the Government, from time to time in Direct Appointments in this service, shall remain applicable.
8. **Age-limit** /- The age-limit shall be the same as it will be determined by State Government for Registrar Cadre of university/college.
9. **Seniority** /- The Department shall publish every year a seniority-list of all the legally appointed and working Registrars for each post of the cadre in the month of April.
10. **Promotion** /- Promotion of the members of this cadre may be made by the Departmental Promotion Committee according to the ladder of post provided in Appendix-I on completion of determined Kalawadhi.
11. **Control of the Matters relating to Establishment** /- Appointment, promotion, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority list of the members of this service and all matters related to establishment shall be under the control of the Appointing Authority.
12. **Deputation** /- Posting of the member of this cadre may be made to the suitable non cadre posts for a maximum period of three years on deputation basis in the Department /Subordinate/affiliated offices of the Directorate.
13. **Disciplinary action** /- The provisions of The Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time), shall apply for the purpose of disciplinary action against the members of the service.
14. **Miscellaneous** /- Such subjects or points for which provisions are not made in these Rules, the rules/instructions enforced for the time being in respect of the State Government employees, shall apply.
15. **Interpretation** /- Wherever any doubt arises in respect of Provisions of these Rules, the decision of the Department on this subject shall be final after consultation with the Law Department.



6. **Removal of Difficulty**:- Final removal of any difficulty relating to these Rules shall be made by the State Government after consultation of the General Administration Department and the Law Department.
17. **Repeal** :- (1) All resolutions/circulars issued before the commencement of these Rules are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, the appointments made under the said Resolution/Circulars already issued or orders issued shall remain in force and valid as if they were issued under the proper provisions of these Rules.

By the order of Governor of Bihar

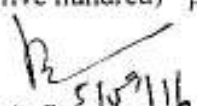

Deputy Secretary,

Deptt. of Science & Technology,
Govt. of Bihar, Patna.

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

Patna, Date-

Copy to Superintendent, Govt. Press, Guljarbag, Bihar, Patna -7 to publish in the forthcoming issue of the Gazette. Kindly make available of 500 (five hundred) printed copies to this department.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

2321 Patna, Date-

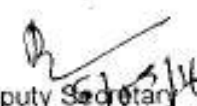
Copy to All Principal, Govt. Engg. Colleges/Govt. Polytechnic/ Govt. Women's Polytechnics/The Secretary, State Board of Technical Education, Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

2321 Patna, Date-

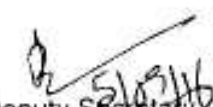
Copy to Director, Department of Science & Technology, Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

2321 Patna, Date-

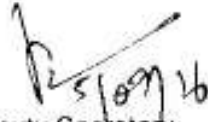
Copy to Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

Patna, Date-

Copy to The Accountant General, Bihar, Birchand Patel Path/ Finance(PCFC) Depratment Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

Patna, Date-

Copy to Chief Secretary/All Principal Secretary/ Secretary/ All Directors/ All Divisional Commissioner, Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Memo No- वि०प्रा०(१)स्था०- १४/०७

Patna, Date-

Copy to Secretary, Hon'ble Governor, Bihar, Patna /Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister / Private Secretary to Minister, Department of Science & Technology, Govt. of Bihar, Patna for information.


Deputy Secretary

Appendix-I
Registrar Cadre
(See Rule-3)

Sl. No.	Post	Qualification Experience	Remarks
(I)	(Basic Category) Assistant Registrar	Present Minimum Qualification determined by UGC i.e. Post Graduate degree with Minimum 55% marks or 7 point scale equivalent to grade B with good academic record.	Will be filled up by Direct Recruitment
(II)	Deputy Registrar	5 years Working experience of Assistant Registrar or Equivalent.	Will be filled up By Promotion
(III)	Registrar	15 years Administrative experience out of which 8 years as Deputy Registrar or Equivalent.	Will be filled up By Promotion

1. Conditions recommended by the Govt. of Bihar relating to Pay scale, Grade Pay, Age for the University/ College officers will remain applicable.
2. Duties and responsibilities of this cadre/- Worked related to registration, examination, budget & other administrative work assigned by department or principal.
3. Posts of Basic category will be filled up by direct appointment.
4. The members already appointed/absorbed in this cadre prior to this rules will be deemed to be absorbed automatically against the post of Registrar, as one time measure on holding determined qualification and completion of Kalawadhi.
5. In case of above mentioned posts being vacant, the teachers of engineering colleges/ Polytechnic Institutions having minimum qualification may be posted to the above mentioned posts till the fulfillment of these posts by regular appointment or through promotion.

By the order of Governor of Bihar


 Deputy Secretary,
 Deptt. of Science & Technology,
 Govt. of Bihar, Patna.